

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा

सेवा में

1. प्रथम अपीलिय अधिकारी--कम--  
संयुक्त निदेशक, औ०सुरक्षाएवंस्वा०, मुख्यालय।
2. सभी राज्य लोक सूचना अधिकारी हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
3. सभी सहायक जनसूचना अधिकारी, हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।
4. 12/11/16

क्रमांक:—स्था०/०१/२०१६/ १२५५५-१८  
दिनांक:— २१/३/१६

विषय:— **Show cause Notice No. 2843 of 2016 and 2844 of 2016 in (appeal Case No. 6688 of 2015 under Section 19(3) of the RTI Act, 2005:- Sh. Dilip Gupta Vs Labour Department, Haryana, Chandigarh.**

.....

विषय संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कार्यालय के कामकाज में पारदर्शिता को कारगर बनाना, प्राप्त आवेदन से निपटने के प्रति जवाबदेह प्रणाली सुनिश्चित करना ताकि आर.टी.आई आवेदक देरी की वजह से परेशान न हों। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप समय-2 पर उक्त अधिनियम के तहत कार्य की समीक्षा बारे अपनी रिपोर्ट प्रत्येक माह मुख्यालय में प्रथम अपीलिय अधिकारी को भेजें, अन्यथा किसी भी देरी के लिए आप स्वयंम जिम्मेवार होंगे।

*S. L. D. S.*  
सहायक श्रम आयुक्त (स्था०)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।  
*h*